न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का टापरवाड़ा

बहक श्री श्री मोटाराम छीगनाराम भारमल पि० छोगाराम श्री मोतीराम पुत्र बोदूराम अर्जुन गोकुल पि०
पुत्र श्री रतनाराम
जाति जाट नि० मोड़ीखुर्द

मुकदमा नं. 30 / 2017

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 07/09/17

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम मोड़ीखुर्द फसल खरीफ खसरा नम्बर 653 रकबा 0.04 00 हैक्टर किस्म गै० मू० रास्ता (राजकीय भूमि) पर संवत 2074 में श्री मोटाराम वगै० पि० छोगाराम मोतीराम ओ० बोदूराम अर्जुन गोकुल पि० रतना राम नि० मोड़ीखुर्द पुत्र श्री जाति जाट निवासी (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है ) द्वारा डोल, बाड़ व पक्का पीलर बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी गण में से मोटाराम छीगमाराम पि० छोगाराम मोतीराम पुत्र बोदूराम अर्जुनराम, गोकुलराम पि० रतनाराम उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण द्वारा गै.मू. रास्ते पर अतिक्रमण करना मौखीक स्वीकार किया गया। इनके द्वारा लिखित में जबाब पेश नही किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम मोड़ीखुर्द ख.न. 653 रकबा 0.04 00 हे० किस्म सिवायचक फसल खरीफ पर संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर गै० मू० रास्ता डोल, बाड़ व पक्का पीलर बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 3/- प्रति है० का 50 गुणा रूपया 1.00 रु. ( रूपये एक रूपया जुर्माना ) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की कियान्विती हेतु पटवारी हल्का टापरवाड़ा भु. अभिलेख निरीक्षक रिड़ एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/09/17 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास
जिला- नागौर (राज०)

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)